Need to make legal provisions to ensure vesting of educational and employment rights to orphaned and abandoned children-laid

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : मैं देश में अनाथ बच्चों को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जैसा कि सरकार को जानकारी है कि अनाथ शब्द की अलग-अलग परिभाषाएं हैं, सामाजिक रूप से अनाथ वह बच्चे होते हैं जिनकी करावास, अत्यधिक दरिद्रता, शारीरिक शोषण और परित्याग के कारण देखभाल नहीं हो पाती । देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको परिवार ने त्याग दिया है और वह सड़कों पर घूमते हैं । अनाथ बच्चों की कोई कानूनी और सामाजिक पहचान नहीं है । देश में उनके लिए बहुत कम या कोई सामाजिक सुरक्षा ढांचा या सुरक्षात्मक तंत्र मौजूद नहीं है । अनाथ बच्चों की कोई पहचान नहीं होने के कारण उनका प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश पाने तथा नौकरी के लिए आवेदन करने में बहुत कठिनाई होती है । अनाथ लोगों के लिए कोई विशेष कानून नहीं होने के कारण वे समाज में बहुत जोखिम भरे परिवेश में जीवन यापन करते हैं । मेरा सरकार से आग्रह है कि वह अनाथों के लिए भी ऐसे कानूनी प्रावधान करें जिसमें उन्हें शिक्षा और रोजगार हेतु नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो सके ।